संख्या-248/2020/2745/41-2020-35(बजट)/2018

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020**

विषय:-जनपद फैजाबाद के अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यों के अंतर्गत जनपद अयोध्या में स्थित गुप्तारघाट अयोध्या के मंदिर हेतु फसाड लाइट के कार्य हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2874/6-1-1(930)/2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद फैजाबाद के अयोध्या के पर्यटन विकास कार्यों के अंतर्गत **जनपद अयोध्या में स्थित गुप्तारघाट अयोध्या के मंदिर हेतु फसाड लाइट के कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) द्वारा** गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-185/2018/3487/41-2018-35(बजट)/2018 दिनॉक 05 अक्टूबर, 2018 द्वारा धनराशि रू0 84.96 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 42.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तदनन्तर शासनादेश सं0-26/2020/3096/41-2019-35(बजट)/2018 दिनांक 17 जनवरी 2020 द्वारा प्रायोजना के अवशेष् कार्यों हेतु रू0-33.99 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई । तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन द्वारा प्रायोजना के संदर्भ में फसाड लाइट के कार्यों का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण-पत्र , फोटोग्राफ्स एवं जी0एस0टी0 की धनराशि का चालान/विवरण उपलब्ध कराते हुये जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 8.49 लाख को अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि रू0-8.49 लाख (रूपये आठ लाख उन्चास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-185/2018/3487/41-2018-35(बजट)/2018 दिनॉक 05 अक्टूबर, 2018 एवं शासनादेश सं0-26/2020/3096/41-2019-35(बजट)/2018 दिनांक 17 जनवरी 2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) **महानिदेशक, पर्यटन के पत्र सं0-2874/6-1-1(930)/2018, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये जी0एस0टी0 के प्रपत्र एवं कार्यपूर्ति का प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं हैं, गुणवत्ता प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध कराया गया है और न ही थर्ड पार्टी से गुणवत्ता की जांच करायी गई है। अनुरक्षण की व्यवस्था भी स्पष्ट नहीं है और न ही उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ्स में स्थल का नाम अंकित है। अत: उक्त समस्त कमियों का निराकरण कराते हुये एक सप्ताह के अंदर अपेक्षित अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।**

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/ दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा।

4) लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रश्नगत परियोजना की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-21-अयोध्या के पर्यटन विकास की योजना-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर 2020 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-248/2020/2745/41-2020-35(बजट)/2018 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।,
6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0), यूनिट-11, फैजाबाद।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
9- क्षेत्रीय प्रर्यटक अधिकारी, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग /गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in